

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम - जहाजपुर (भीलवाडा)

रूपा पिता जीणीया कंजर नि. कंजर कॉलोनी पण्डेर

बनाम

गुमानिया पिता नसीरीया कंजर नि. कंजर कॉलोनी पण्डेर

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 2/1/2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुये
<p>12.04.21 अज</p> <p>किस्म</p> <p>तारीख हुकम</p> <p>04:21</p>	<p>(नियम 26)</p> <p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम कंजर कॉलोनी पटवार हल्का जसवन्तपुरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 4355 रकबा 01.06 बीघा तथा आ.न. 4331, 4333, 4341, 4342, 4347, 4352, 4354, 4356, 4360, 4361, 4365, 4375, 4398, 4399, 4401, 4402, 4404, 4405, 4407, 4410, 4411, 4412 कुल किता 22 रकबा 29.06 बीघा स्थित है। विपक्षीय आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की तार्ईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बत 2069 से 2075 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के एकल/संयुक्त स्वामित्व की हैं, पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं जिसके जाहिर होता है कि पत्थरगढी की जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम कंजर कॉलोनी पटवार हल्का जसवन्तपुरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 4355 रकबा 01.06 बीघा तथा आ.न. 4331, 4333, 4341, 4342, 4347, 4352, 4354, 4356, 4360, 4361, 4365, 4375, 4398, 4399, 4401, 4402, 4404, 4405, 4407, 4410, 4411, 4412 कुल किता 22 रकबा 29.06 बीघा की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक पण्डेर को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 2500 रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 12.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर(भीलवाडा)</p>	<p>21</p>